

# गांवों का विद्युतीकरण

## विद्युतीकरण की

**पुरानी परिभाषा :-** किसी भी गांव को विद्युतीकृत मान लिया जायेगा यदि उसके राजस्व क्षेत्र में किसी भी श्रेणी के कनेक्शन के लिए विद्युत तंत्र स्थापित कर दिया गया है।

- पुरानी परिभाषा से दिनांक 31.03.2004 को 38515 गांव (97.95 प्रतिशत) विद्युतीकृत थे।

**नई परिभाषा :-** कोई भी गांव तब ही विद्युतीकृत घोषित किया जायेगा यदि

- 1 उस गांव के कुल आबाद घरों के कम से कम 10 प्रतिशत घरों में विद्युत उपलब्ध हो।
- 2 आधारभूत तंत्र तथा वितरण विद्युत लाईन व ट्रांसफार्मर गांव की आबादी में/ दलित बस्ती /ढाणी (यथा स्थिति जो भी हो) में स्थापित हो। (गैर परम्परागत स्रोत से विद्युतीकरण के मामले में वितरण ट्रांसफार्मर की अनिवार्यता नहीं)
- 3 सार्वजनिक स्थान यथा स्कूल, पंचायत कार्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सालय, सामुदायिक विकास केन्द्र आदि में विद्युत उपलब्ध हो।

## गांवों के विद्युतीकरण का विवरण

- 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कुल गांव 41353
  - गैर आबादी के गांव 1600
  - अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा विद्युतीकृत किये जाने वाले गांव 432
- **विद्युत तंत्र से कुल विद्युतीकृत किये जाने वाले गांव 39,321**
- 31.3.2004 को विद्युतीकृत गांवों की स्थिति
  - नई परिभाषा से विद्युतीकृत गांव 25,685 (65.32 प्रतिशत)
  - नई परिभाषा से शेष अविद्युतीकृत गांव **13636**
    - गांवों का विवरण जिनमें विद्युत वितरण निगमों के द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण किया जाना है :-
      1. अविद्युतीकृत गांव 808
      2. अविद्युतीकृत घोषित गांव 3681
      - कुल अविद्युतीकृत गांव 4489**
      3. विद्युतीकरण की नई परिभाषा के अनुसार 9147 अविद्युतीकृत घोषित
    - कुल अविद्युतीकृत गांव 13636**
- राजीवगांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 31 मार्च, 2011 तक 35573 गांव विद्युतीकृत है।